संख्या– /XXIV–नवसृजित/2017–32(01)/2013 TC- V

प्रेषक,

चन्द्र शेखर भट्ट,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित

देहरादूनः दिनांक 22 जुलाई, 2017

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2017–18 के लिए अध्यापकों के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक माध्यमिक विद्यालयों में विद्यमान रिक्तियों के दृष्टिगत शैक्षणिक सत्र 2017–18 को प्रभावी रूप से चलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत छात्रहित/जनहित में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2017–18 के लिए अध्यापकों के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु शासनादेश संख्या संख्या–376/XXIV–नवसृजित/2017–32(01)/2013 TC-V, दिनांक 16.05.2017 निर्गत किया गया था।

2– प्रकरण में मुख्य स्थायी अधिवक्ता उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल ने फैक्सपत्र दिनांक 18.07.2017 में अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील सं0 66/2017 (ललित सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य) तथा विशेष अपील सं0 98/2017 (ललित मोहन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य) में दिनांक 18.07.2017 को सुनवाई करते हुए मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा निम्नांकित उल्लेख किया गया हैः–

"During the course of arguments the counsel for the appellant placed the Government order dated 16th May, 2017 issued by the Additional Chief Secreatary (the then Principal Secretary, Education) by means of which, it was provided that the State Government shall make appointment on temporary/contract basis. The Hon'ble Court has shown its displeasure in issuance of the Government order, conrtrary to the direction issued by this Hon'ble Court vide interim order dated 11-04-2017 and orally observed that suo-moto contempt proceeding be initiated against the officer issuing the Government order dated 16thMay, 2017. However, on the request being made, the Hon'ble Court has not taken any action in the matter and orally observed that we hope that the said Government order would be withdrawn by the Government."

2– अतः मुख्य स्थायी अधिवक्ता उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल के फैक्सपत्र दिनांक 18.07.2017 में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2017–18 के लिए अध्यापकों के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या संख्या–376/XXIV–नवसृजित/2017–32(01)/2013 TC-V, दिनांक 16.05.2017 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

कृपया तदनुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(चन्द्र शेखर भट्ट)
प्रभारी सचिव

संख्या–७५४(1)/XXIV–नवसृजित/2017–32(01)/2013 TC- Vतददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव–मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल को उनके उपरोक्त फैक्स पत्र दिनांक 18.7.2017 के कम में।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
5– अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
6– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
महिमा
(महिमा)
उपसचिव।